

प्रेषक,
मोहन लाल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निबन्धक,
सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 दिनांक :: लखनऊ :: 9 अप्रैल, 2010
विषय :- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या -18 के अधीन
आयोजनागत / आयोजनेत्तर पक्ष के विभिन्न लेखा / उप लेखा
शीर्षको, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित धनराशियों
की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-07/लेखा-अ/2010-11
दिनांक 05-4-2010 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय
ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च,
2010, जिसके द्वारा विनियोग अधिनियम, 2010 के विधान सभा द्वारा
पारित होने की सूचना देते हुये प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय
स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गये हैं, के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष
2010-11 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष में
अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) के लेखा
शीर्षक '2425-सहकारिता-001-निर्देशन तथा प्रशासन के अंतर्गत
प्राविधानित मतदेय' मद की धनराशि रू0 1535779 हजार (रूपये एक
सौ तिरपन करोड़ सत्तावन लाख उन्यासी हजार मात्र) के सापेक्ष रू0
783669 हजार (रूपये अठहत्तर करोड़ छत्तीस लाख उनहत्तर हजार
मात्र) तथा भारत में रू0 154170 हजार (रूपये पन्द्रह करोड़ इकतालिस
लाख सत्रह हजार मात्र) के सापेक्ष रूपये 100 हजार (रू0 एक लाख
मात्र) जिसका कुल योग रू0 783769 हजार (रूपये अठहत्तर करोड़
सैंतिस लाख उनहत्तर हजार मात्र) होता है, तथा आयोजनागत पक्ष में
रू0 493778 हजार (रूपये उन्चास करोड़ सैंतिस लाख अठहत्तर हजार
मात्र) के सापेक्ष रू0 855 हजार (रूपये आठ लाख पचपन हजार मात्र)
राजस्व लेखा के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय

आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति दी जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति लिये बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय न किया जाय ।
- (2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलो में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।
- (3) अनुदान, वाहनो के क्रय, मशीन, साज-सज्जा, उपकरण निर्माण कार्य तथा अन्य व्यय से सम्बन्धित मदो के अंतर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी, जिसके लिये सुसंगत सूचनाओं विवरणो सहित औचित्य का प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराकर वांछित स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
- (4) अनुदान/भारित विनियोगो के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय । जहाँ तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग समान स्तर से माहवार पूरे वित्तीय वर्ष के लिये की जाय । निर्गत स्वीकृति आदेशों में कोषागार से धनराशि के आहरण की फेजिंग भी कर ली जाय ।
- (5) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/विज्ञप्ति धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या बी-1-1307/दस-2006-247/06, दिनांक 28-3-2006 में दिये गये निर्देशो का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (6) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त-नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दें ।
- (7) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनाये वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी शासन को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(8) विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ यथासम्भव एक बार में ही जारी की जायें, परन्तु सामान्यतः स्वीकृति धनराशि के एकमुश्त आहरण की अनुमति न दी जाये। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से किशतों में आहरण सम्बन्धी आदेश का समावेश सुनिश्चित किया जाये। सी०सी०एल० प्रणाली से आच्छादित मामलों में वित्त(लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(9) वित्त (वेतन) आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08दिसम्बर,2008 के प्रस्तर-12-4(2) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष 40प्रतिशत का आहरण वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अक्टूबर,2010 के पूर्व नहीं किया जायेगा।

(10) बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की प्रक्रिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाये।

(11) मित्तव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत कियेगये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता -001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनागत/ आयोजनेत्तर" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या-1114(1)/49-3-2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा (प्रथम तथा द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 3- वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 4- वित्त (वित्त-नियंत्रण) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

